न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर

प्रकरण संख्या : अपील/टिए/1287/2002/ अजमेर

श्री हरजी दत्तक पुत्र श्रवण नाबालिग जरिए बली संरक्षक जाइन्दा पिता श्री गंगाराम पुत्रभैरु जाति बैरवा, निवासी देवलिया खुर्द, तहसील केकडी, जिला अजमेर।

.....अपीलार्थी

बनाम

1. श्री श्योनारायण पुत्र जीवण, जाति जाट नि0 देवलियाखुर्द।
2. श्रीमती भूला } पुत्रियां श्रवण, जाति बैरवा, निवासी
3. श्रीमती घीसी } देवरिया खुर्द, तहसील केकडी।

.....रैस्पो0

खण्ड – पीठ
श्री महावीर सिंह, सदस्य
श्री मोहनलाल नेहरा, सदस्य

उपस्थितः–

श्री खडग सिंह, अधिवक्ता अपीलार्थी
रैस्पो0 की ओर से कोई उपस्थिति नहीं है

निर्णय

दिनांकः 05–12– 2018

हस्तगत अपील अंतर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 (संक्षेप में अधिनियम, 1955) राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर द्वारा प्रकरण अपील संख्या 177/2001/223 शीर्षक श्रीमती भूला बनाम हरजी वगैरा में पारित निर्णय दिनांक 26–02–2002 के विरूद्ध मण्डल के समक्ष प्रस्तुत की गई हैं।

2– प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि परीक्षण न्यायालय उप खण्ड अधिकारी, केकडी के समक्ष वादी/हस्तगत अपील के अपीलार्थी के द्वारा प्रतिवादी/रैस्पो0 के विरुद्ध धारा 92–ए/188, अधिनियम, 1955 के तह वाद आराजी खसरा नम्बर 207 रकबा 10–2–10 बीघा वाके ग्राम देवलिया खुर्द के सम्बन्ध में इस आशय के साथ प्रस्तुत किया कि प्रश्नगत भूमि वादी के कब्जे काश्त की आराजी है और प्रतिवादी द्वारा वादी के कब्जे काश्त में जबरन व्यवधान किया जा रहा है। अतः प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा पाबन्द किया जाए। परीक्षण न्यायालय ने निर्णयदिनांक 14–6–2001 से दावावादी डिक्री किया। उक्त निर्णय के विरुद्ध प्रतिवादीगण (पुत्रियां श्रवण) द्वारा अपील प्रस्तुत करने पर राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर द्वारा निर्णय दिनांक 26–02–2002 से अपील आंशिक स्वीकार कर परीक्षण न्यायालय के निर्णय को निरस्त करते हुये प्रकरण को पुनः सुनवाई हेतु परीक्षण न्यायालय को प्रति प्रेषित किया है, जिसके विरुद्ध मूलवाद के वादी द्वारा मण्डल के समक्ष हस्तगत अपील प्रस्तुत की गई है।

3– अपीलार्थी पक्ष के योग्य अधिवक्ता की बहस अपील पर सुनी गई।

4– योग्य अधिवक्ता अपीलार्थी ने बहस में निवेदन किया कि वादी/अपीलार्थी द्वारा प्रतिवादी/रैस्पो0 के विरुद्ध स्थाई निषेधाज्ञा का वाद प्रस्तुत किया गया था जिसे रिकार्ड व साक्ष्य के आधार पर दिनांक 14–6–2001 को परीक्षण न्यायालय ने डिक्री किया था। अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय ने आक्षेपित निर्णय के द्वारा विधिक प्रावधानों के विपरीत जाते हुये इस निर्णय को अपास्त किया है। योग्य अधिवक्ता ने बहस में कथन किया कि अपीलार्थी के पक्ष में विधिक रुप से गोदनामा है जिस पर रैस्पो0 संख्या 2 व 3 के हस्ताक्षर हैं और वादी/अपीलार्थी प्रश्नगत भूमि का अभिलिखित खातेदार काश्तकार है। रैस्पो0 स्वयं को आराजी में किसी प्रकार से अपना हक बताते हैं तो उन्हें पृथक से घोषणा का वाद लाना चाहिए था, इस आधार पर प्रकरण को प्रति प्रेषित नहीं किया जा सकता कि उन्हें अधीनस्थ न्यायालय में सुनवाई व साक्ष्य का अवसर प्रदान नहीं किया गया है। खातेदार काश्तकार को धारा 188 के प्रावधानों के तहत अपनी खातेदारी की आराजी पर, स्थाई निषेधाज्ञा का अनुतोष प्राप्त करने का विधिक रुप से अधिकार प्राप्त है। अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय ने इस बिन्दु पर गौर नहीं किया है कि धारा 188 के वाद में, बिना किसी घोषणा के दावे के, जिन विषयों पर कोई तनकी व प्लीडिंग नहीं रही है, उस आधार पर प्रकरण को प्रति प्रेषित नहीं किया जा सकता है। अन्त में योग्य अधिवक्ता ने निवेदन किया कि अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय का निर्णय निरस्त किया जाये, अपील स्वीकार की जावे और परीक्षण न्यायालय के निर्णय को पुष्ट किया जाए।

5– रैस्पो0 पक्ष बाबजूद सूचना उपस्थित नहीं।

6– हमने अपीलार्थीपक्ष के विद्वान अधिवक्ता की बहस पर मनन किया। पत्रावली में प्रस्तुत रिकार्ड एवं दोनों अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित निर्णयों का अवलोकन एवं अध्ययन किया।

7– पत्रावली के अवलोकन से पाया जाता है कि परीक्षण न्यायालय के समक्ष वादी/अपीलार्थी द्वारा प्रतिवादी/रैस्पो0 के विरुद्ध आराजी खसरा नम्बर 207 रकबा 10–2–10 बीघा वाके ग्राम देवलिया खुर्द के सम्बन्ध में स्थाई निषेधाज्ञा का वाद प्रस्तुत किया गया था। पत्रावली के अवलोकन से पाया जाता है कि अधीनस्थ परीक्षण न्यायालय ने प्रकरण में 5 तनकियात कायम की हैं। जमाबंदी सम्वत् 2041 प्रदर्श–1 के अनुसार प्रश्नगत भूमि वादी की खातेदारी में अंकित रही है। प्रतिवादीगण प्रश्नगत भूमि के अभिलिखित खातेदार नहीं हैं। विधि में यह कहीं वर्जित नहीं है कि एक अभिलिखित खातेदार काश्तकार स्वयं की खातेदारी की आराजी के सम्बन्ध में धारा 188 के तहत दावा नहीं ला सकता है। जहॉ तक प्रतिवादीगण द्वारा यह उज्र लिया गया है कि वादी के पक्ष में गलत प्रकार से गोदनामा किया गया है और गोदनामा फर्जी है और वादी के पक्ष में गोदनामा के आधार पर गलत प्रकार से अंकन किया गया है, तो इसके लिये अनुतोष हेतु प्रतिवादीगण को पृथक से कार्यवाही करनी चाहिए और इसके लिए प्रतिवादीगण पृथक से चाराजोही करने के लिए स्वतंत्र हैं। वादी प्रश्नगत आराजी का अभिलिखित खातेदार है और अभिलिखित खातेदार के पक्ष में स्थाई निषेधज्ञा का अनुतोष जारी करने में परीक्षण न्यायाालय ने किसी

प्रकार की विधिकभूल नहीं की है। अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय ने अपील को आंशिक स्वीकार कर प्रकरण को रिमाण्ड करने के जो आधार अपने निर्णय में लिये हैं वे धारा 188 के वाद में नहीं लिये जा सकते हैं। फलतः हमारा सुविचारित मत है कि अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय ने परीक्षण न्यायालय के निर्णय में विधिक प्रावधानों के विपरीत जाते हुये हस्तक्षेप किया है, जो निरस्त योग्य है।

8. फलतः अपील सारवान पाए जाने से स्वीकार की जाती है। राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर द्वारा प्रकरण अपील संख्या 177/2001/223 शीर्षक श्रीमती भूला बनाम हरजी वगैरा में पारित निर्णय दिनांक 26-02-2002 को निरस्त किया जाता है और उपखण्ड अधिकारी, केकडी के निर्णय व डिक्री दिनांक 14-6-2001 को यथावत बहाल रखा जाता है।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(मोहनलाल नेहरा)
सदस्य

(महावीर सिंह)
सदस्य